न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 67/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
आदुराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम जांगू बाना की ढाणी, जालोडा तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– बिदामी पत्नी श्रीराम 2– अनुपमा पत्नी प्रकाश जातियान विश्नोई निवासीगण खिचडो की ढाणी, झरडेजी की भाकरी, जालोडा तहसील लोहावट जिला जोधपुर 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 6–2–2019 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2019 अनवान बिदामी वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 8–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की सह खातेदारी की भूमि ग्राम जांगू बाना की ढाणी, जालोडा तहसील लोहावट के खसरा नंबर 235/10 रकबा 20 बीघा भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार लोहावट से निवेदन करने पर उनके आदेश कमांक 138 दिनांक 14–12–2018 द्वारा पटवारी हल्का को आदेशित करने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26–12–2018 को प्रार्थीगण के खसरा नंबरान की पैमाईश की इस कारण पैमाईश मौका फर्द दिनांक 26–12–2018 अनुसार प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढी करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–2–19 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम जांगुबाना की ढाणी पटवार मण्डल जालोडा तहसील लोहावट के खसरा नंबर 235/10 रकबा 20 बीघा भूमि की पैमाईश दिनांक 26–12–2018 के अनुसार अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए उक्त भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद का भी आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–2–19 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट खसरा नंबर 235/1 का रेकर्डेड खातेदार है, अपीलांट एवं अन्य बट्टा नंबर के खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना जैसी प्रार्थना पत्र मे इस्तदुआ मांगी थी उसी अनुरूप अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मूल खसरा नंबर 235 का विधिवत कोई बंटवाडा नही हुआ तथा आज भी उक्त खसरा नंबर 235 एक ही चक मे स्थित है तथा नक्शा ट्रेस मे भी अविभाजित है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि जिस वक्त हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश की गई थी उस वक्त अपीलार्थी एवं अन्य बट्टा नंबर के खातेदारो को कोई नोटिस या सूचना नही दी गई थी तथा पैमाईश रिपोर्ट अपीलांट व अन्य सहखातेदारो की गैर मौजुदगी मे एकतरफा तैयार की गई है, जो कानूनन गलत होने से उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को पत्थरगढी का आदेश पारित नही किया जाना चाहिये था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 111 भू राजस्व अधिनियम के तहत जिस खसरे की पैमाईश की जाती है, उसके पडौसी खातेदारो की मौजुदगी मे निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने पर ही धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–2–19 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया कि पहले दोनो पक्षो की उपस्थिति मे अपीलाधीन भूमि की पैमाईश करवाई जाये तथा निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने पर पुनः पत्थरगढी के संबंध मे विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि हमने हमारे संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 235/10 रकबा 20 बीघा की पैमाईश करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे विधिवत आवेदन किया, जिसके साथ नकल नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति जिसमे खसरा नंबर 235/10 की पैमाईश दर्शाई हुई है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट के खसरा नंबर 235/1 व 235/5 है, जो नक्शे मे चिपते हुए नही होने से अपीलांट को हमारे पत्थरगढी आदेश से प्रभावित नही होते है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये पत्थरगढी के आदेश को तो चुनौती दे दी है परंतु नक्शे मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की खसरा नंबर 235/10 भूमि की तरमीम को अब तक चुनौती

नही दी है इसलिए नक्शे मे की गई तरमीम आज की तारीख मे विधिमान्य है तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि पत्थरगढी का आदेश उपलब्ध नक्शे के अनुसार ही करने के प्रावधान है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत राजस्व नक्शे के अवलोकन से यह प्रकट है कि रेस्पो0 का खसरा नंबर 235/10 अपीलांट के खसरा नंबर 235/1 एवं 235/5 से लगता हुआ होने से अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का सेढा पडोसी होने से अपीलांट एवं अन्य पडोसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर उनकी उपस्थिति मे पैमाईश फर्द तैयार की जाकर उसके अनुरूप पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व नक्शा तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलाधीन भूमि के किसी पडौसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया है केवल तहसीलदार लोहावट को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जबकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शे के अवलोकन से यह प्रकट है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खसरा नंबर 235/10 के चिपते वर्तमान अपीलांट आदूराम पुत्र प्रहलादराम विश्नोई का खसरा नंबर 235/1 व 235/5 आया हुआ है इसलिए अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खातेदारी की भूमि का सेढा पडौसी है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दिनांक 26–12–2018 की पैमाईश रिपोर्ट जो तहसीलदार लोहावट के आदेश से पटवारी हल्का जालोडा द्वारा तैयार की गई थी, उक्त पैमाईश रिपोर्ट का अवलोकन करने पर किसी पडौसी खातेदारो को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति मे तैयार की जाना प्रकट होता है तथा उक्त पैमाईश रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है तथा उक्त पैमाईश रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख किया हुआ है कि मौके पर उत्तर पूर्व की दिशा के खातेदारो द्वारा सहमति प्रकट नही की है अथार्त उक्त पैमाईश रिपोर्ट पर विवाद था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26–12–18 के अनुसार अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए पत्थरगढी का जो आदेश दिनांक 6–2–19 को पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–2–19 को निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि अपीलाधीन भूमि की पैमाईश अपीलांट एवं अन्य पडौसी हितबद्ध खातेदारो की उपस्थिति मे तैयार करवाकर, निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर

अपीलांट एवं अन्य पडौसी खातेदारो को सुनकर पुनःनये सिरे से पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 8–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर